

माननीय राजस्व, न्यायालय मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष

PBR/गिगरनी/इंदौर/भू.रा/2018/2501

पुनर्विलोकन प्र.क्र.
प्रस्तुति दिनांक 16/11/18

पुंजराज पिता कालूराम
तर्फ आममुख्यत्यार
राजामुन्नी पिता पुंजराज
उम्र 70 वर्ष धन्धा कृषि
निवासी-ग्राम उण्डेल, तहसील-इन्दौर,
जिला-इन्दौर (म0प्र0)

— प्रार्थी

आवेदन अधिभाषक
श्री वी.सुब.जोषे
द्वारा आ.नं-16-4-18
को इ-या.के.म.य
में प्रस्तुत।
16/11/18

विरुद्ध

- (1) मीराबाई उर्फ हीराबाई पति हजारीलाल
- (2) विष्णु पिता हजारीलाल
- (3) नारायण पिता हजारीलाल
सदर निवासीगण- ग्राम उण्डेल, तहसील-इन्दौर,
जिला-इन्दौर (म0प्र0)
- (4) माया बाई पति श्री केदार (पिता स्व. हजारीलाल पिता कालूराम)
ग्राम गढ़ी, तहसील-इन्दौर, जिला-इन्दौर (म0प्र0)
- (5) कौशल्या बाई पति स्व. मुन्नालाल (पिता कालूराम)
- (6) राजमल पिता स्व. मुन्नालाल
सदर निवासी- ग्राम उण्डेल, तहसील-इन्दौर,
जिला-इन्दौर (म0प्र0)
- (7) रानी बाई पति संतोष (पिता मुन्नालाल पिता कालूराम)
निवासी-ग्राम पिपलदा, तहसील-महू,
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

— प्रतिप्रार्थीगण



आवेदन पत्र भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रार्थना - पत्र

माननीय महोदय के समक्ष सदर रीविजन श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील व जिला इन्दौर श्रीमती पटेल के न्यायालय तहसील इन्दौर पर बंटवारा प्रकरण क्र. 21/अ27/17-18 पर पारित आदेश दिनांक 22/1/2017 के प्रोसिडिंग आदेश से असंतुष्ट होकर यह रीविजन पेश करना भाग हुआ है।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2018/2501

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से श्री बी0एल0गोमे अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री जगदीश चौहान उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> 20/3/19</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	